कार्यालय प्राचार्य

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

Website – http://www.bcspgcdmt.com

E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com

AISHE CODE- C-21763

Moot Court

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

कार्यक्रम

पीजी कालेज में छात्र-छात्राओं ने मूट कोर्ट लगाकर किया प्रदर्शन, हत्या के मामले में की बहस

कालेज में आभासी न्यायालय, विद्यार्थी बने जज, वादी-प्रतिवादी और वकील

धमतरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विधि भाग एक के विद्यार्थियों ने कालेज में प्रदर्शन के रूप में मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) लगाकर कई मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान कालेज के विद्यार्थियों ने जज, वादी, प्रतिवादी और अधिवक्ता की भूमिका निभाई। मूट कोर्ट में हत्या समेत कई मामलों पर जमकर बहस की। कोर्ट में कई दिलचस्प मामलों की प्रस्तुति की हुई, जिसे देखकर अतिथियों व प्रोफेसरों ने सराहना की।

बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी की प्राचार्य डा श्रीदेवी चौबे के निर्देशन एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दुर्गेश प्रसाद, डा सपना ताम्रकार, प्रो कोमल प्रसाद यादव, प्रो पंकज जैन एवं डा प्रेमनाथ भारती के मार्गदर्शन में विधि भाग प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने प्रायोगिक तौर पर मूट कोर्ट एक्सरसाइज एवं इंटर्नशीप पर आधारित

पीजी कालेज धमतरी मे विधि भाग एक के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित मूट कोर्ट में शामिल अतिथि व विद्यार्थी। ● पीजी कालेज

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) का आयोजन नवीन भवन सेमिनार हाल में किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य डा श्रीदेवी चौबे थी। अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डा चंद्रशेखर चौबे ने किया। अतिथियों, प्रोफेसरों व दो एवं तीन भाग के विद्यार्थियों की उपस्थिति में कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मूट कोर्ट की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं प्राध्यापकों ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर किया। इस अवसर पर विधि की छात्रा पूनम सालुंके एवं दीपा बेहरा के द्वारा सरस्वती वंदना एवं राज्य गीत अपना पैरी के धार की प्रस्तुति दी गई। मंच का संचालन करते हुए विधि के छात्र हुमेश्वर ने मूटकोर्ट में उपस्थित प्राध्यापकों एवं सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर प्रारंभिक जानकारियां

वादी-प्रतिवादी की भूमिका विद्यार्थियों ने निभाई

वादिनी की भूमिका भारती चंद्राकर ने प्रतिवादी की भूमिका खुबलाल निर्मलकर ने, वादिनी के पिता की भूमिका हुमेश्वर ने एवं माता की भूमिका ममता रणसिंग ने निभाई। राकेश साहू ने प्रतिवादी के पिता एवं इंद्रेश्वरी ने माता की भूमिका निभाई। इसी तरह आकाश चंद्राकर, पदमिनी सोनकर, निरंजन दास विभोर अवस्थी, रेणु मारकंडे, लीना, प्रिया, आंचल साहू, अशोक उदासी, कुंदलाल, उमा, उत्तमचंद एवं कमल कुमार ने अलग-अलग पात्रों की भूमिका निभाई। आपराधिक केस प्रजेंटेशन के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या संबंधित मामलों का प्रदर्शन किया, जिसमें न्यायाधीश की भूमिका अर्चना शर्मा ने लोक अधिवक्ता की भूमिका, दिव्या अग्रवाल ने अधिवक्ता की भूमिका निभाई। इस प्रकरण मे जमकर बहस चली। इस अवसर पर कालेज के प्रोफेसर व विद्यार्थी बड़ी संख्या मे उपस्थित थे।

प्रस्तुत की। मूट कोर्ट में सिविल केस
दांपत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना केस
आभासी प्रदर्शन किया गया। जिसमें
की भूमिका लुकेश्वरी साहू ने निभाई।
वादी पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका विनि
पांडेय एवं कीर्ति गांधी ने तथा प्रतिवादी
के अधिवक्ता की भूमिका ईश्वरी तारक
गायत्री माया गोस्वामी ने निभाई।